have been suggested to State Governments. In regard to the Delhi Super Bazar, it has incurred losses and steps are being taken to improve its working so as to enable it to function as a viable unit.

(b) The Cooperative Department Stores (Super Bazar) exercise a healthy influence on the market, and help in the adoption of fair trading practices.

(c) Government do not contemplate Cooperative Super Bazars. Efforts will, however, be continued to improve their working. The Fourth Plan envisages establishment of cooperative department stores and large-sized retail units at selected centres, where there is good demand and potential for such stores. The programme of development of consumer cooperative is now in the State Sector and it is for the State Government to decide upon the nature and extent of expansion programme.

नष्ट होने से बचाने के लिये तथा उचित उपयोग के लिये सब्जियों तथा फलों का पकाया जाना तथा बोतलों में बन्द किया जाना

3662. **श्री कमल मिश्र मधुकर** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन फल तथा सब्जियों को जिनको पकाया जा सकता है तथा बोतलों में बन्द किया जा सकता है और उनका बाद में उपयोग किया जा सकता है जो नष्ट हो जाते हैं तथा देश मे जिनका उचित उपयोग इनसे सम्बन्धित उद्योगों का विकास करने में सरकार की उपेक्षा के कारण नहीं हो पाता; और

(ख) यदि हां, तो देश में उत्पादित फलों तथा सब्जियों का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) फलों और सब्जियों को क्षति की मात्रा का निर्धारण करने के लिए कोई अध्ययन नहीं किया गया है लेकिन यह अनुमान लगाया जाता है कि देश में फलों और सब्जियों को काटने से लेकर उपभोक्ता तक पहुँचाने में इनके उत्पादन का औसत 20 से 25 प्रतिशत बर्बाद हो जाता है।

(ख) इस क्षति को कम करने के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं। कटाई की उपयुक्त अवस्था का निर्धारण करने और मार्ग तथा भण्डारण में क्षति को बहुत ही कम करने के लिए अनुसन्धान किया जा रहा है। शीघ्र नष्ट होने वाले पदार्थों का उपयुक्त भण्डारण करने के लिए सहकारी और निजी क्षेत्र में बहुत बड़ी संख्या में शीत गोदाम स्थापित किए गए हैं। विधायित फलों और सब्जियों का निर्यात बढ़ाने के प्रयत्न करने के अलावा सरकार सामुदायिक डिब्बाबन्दी केन्द्रों की स्थापना कर और चलती-फिरती गाड़ियों के माध्यम से घरेलू खपत के लिए इनके उपयोग को भी प्रोत्साहित कर रही है।

सब्जियों तथा फलों को तैयार करने और डिब्बों तथा बोतलों में बन्द करने हेतु बिहार में उद्योगों की स्थापना

3663. **श्री कमल मिश्र मधुकर**: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बिहार के चम्पारन, मुजफ्फरपुर तथा दरभंगा जिलों से प्रतिवर्ष देश में खपत हेतु तथा विदेशों को निर्यात हेतु भेजे जाने वाले आमों, लीचियों तथा अन्य फलों की मात्रा का कोई अनुमान लगाया है;

(ख) क्या सरकार का विचार उपरोक्त प्रत्येक जिले में एक एक उद्योग स्थापित करने का है जहां फलों तथा सब्जियों को तैयार करने और डिब्बो तथा बोतलो मे बन्द कर करने का कार्य किया जा सके; और

(ग) यदि हा, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे०) । (क) यह सूचना तुरन्त उपलब्ध नही है ।

(ख) और (ग). दरभगा और मुजफ्फरपुर जिलों में चार सहकारी फल तथा सब्जी विधायन यूनिट स्थापित किए गए है । इनके अतिरिक्त इन दोनो जिलों मे निजी क्षेत्र में 5 छोटे यूनिट भी है ।

Disputes Referred by Railway Employees Associations to Regional Labour Commissioners

3664. SHRI ONKAR LAL BERWA : Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state :

(a) the number of disputes referred by the Railway Employees' Associations other than the recognised Federation, received and dealt with by all the Regional Labour Commissioners during 1970 and 1971;

(b) whether the All India Railway Commercial Clerks Association referred certam disputes during the month of May, 1971; and

(c) if so, the main points of the disputes and the action taken thereon?

THE MINISTER OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI R. K. KHADILKAR) : (a) The information is being collected and will be placed on the table of the House after it is received.

(b) and (c). The Association referred one dispute to the Regional Labour Commissioner, Bombay regarding the transfer of Shri Dina Nath Khanduja, Parcel Clerk, Ahmedabad to Broach. The Association has been asked to produce relevant documents. The matter is thus pending decision.

Employees Provident Fund Claims

3655. SHRI R. P. YADAV . Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state :

(a) whether large number of claim applications are pending in various offices of the Regional Commissioners under the Employees Provident Funds Organisation and if so, the position thereof as on the 31st March, 1971, region-wise;

(b) whether subscribers are being harrassed by the Accounts Branch of various regional offices and whether Government have ever got the matter enquired into so far about the genuine claims being not passed by the Accounts Branch on some flimsy grounds; and

(c) the total number of transfer of accounts cases as on the 31st March, 1971, region-wise and the reasons for the delay in the transfer of accounts from one region to the other and the steps being contemplated to expedite the same ?

THE MINISTER OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI R. K. KHADILKAR) : The administration of the Employees' Provident Fund is the concern of the Central Board of Trustees set up under the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 and is not